संख्या-31/2020/सा0-235/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2020

विषय:- जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-7/2020/सा0-49/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 14 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0) लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए आकलित लागत रू0 204.97 लाख (रूपये दो करोड़ चार लाख सत्तान्नबे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 102.485 लाख (रूपये एक करोड़ दो लाख अड़तालीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- तत्क्रम में कार्यदायी संस्था उ0प्र0 ग्रामीण आवास परिषद् (ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0) लखनऊ द्वारा कतिपय परिस्थितियों के कारण प्रश्नगत निर्माण कार्य कराये जाने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-12/2020/सा0-89/38-2-2020-सा0-1133/18 टीसी, दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उन्नाव द्वारा उक्त निर्माण कार्य विलम्ब एवं कार्य में प्रगति नहीं किये जाने के कारण शासनादेश संख्या-30/2020/सा0-231/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी, दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य न कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये।

3- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2020 के क्रम में इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उन्नाव को निरस्त करते हुये उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड को पूर्व में स्वीकृत प्राक्कलन की लागत रू0 204.97 लाख के अनुसार कार्य सम्पादित करने हेतु कार्यदायी संस्था नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- उक्त शासनादेश संख्या-7/2020/सा0-49/38-2-2020-सा0-1133/18टीसी दिनांक 14 फरवरी, 2020 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेंगे तथा शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-31/2020/सा0-235(1)/38-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय,उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, उन्नाव।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उन्नाव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को पूर्व में अवमुक्त धनराशि उनसे प्राप्त कर नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निगम लिमिटेड को स्वीकृत प्राक्कलन की लागत रू0 204.97 लाख के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
6- कोषाधिकारी, उन्नाव।
7- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उन्नाव।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
9- प्रबंध निदेशक उ0प्र0 राज्य, समाज कल्याण निर्माण निगम, टीसी 46, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।
10- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्राखण्ड, उन्नाव ।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।